रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042020-219225
CG-DL-E-29042020-219225

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 29, 2020/वैशाख 9, 1942
No. 210] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 29, 2020/VAISAKHA 9, 1942

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2020

सा.का.नि.269(अ).—केंद्रीय सरकार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2020 है ।

(2) ये इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं - (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "अधिनियम" से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 अभिप्रेत है ;

(ख) "अध्यक्ष" से प्राधिकरण का अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) "सदस्य" से प्राधिकरण का अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन नियुक्त अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) "चयन समिति" से नियम 3 के अधीन गठित चयन समिति अभिप्रेत है ;

(2) वे शब्द और पद जिनका इन नियमों में उपयोग किया गया है और जो परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है ।

3. चयन समिति –

(1) केंद्रीय सरकार द्वारा अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी, अर्थात् :-

(क) मंत्रिमंडल सचिव – अध्यक्ष ;

(ख) प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव या उनका नामनिर्देशिति – सदस्य ;

(ग) सचिव, आर्थिक कार्य विभाग – सदस्य ;

(घ) तीन विख्यात विशेषज्ञ (जिनको केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त, अर्थशास्त्र, विधि, लोक प्रशासन, वित्तीय बाजार और संबंधित विषयों के क्षेत्र से उसके द्वारा अनुरक्षित विशेषज्ञ पैनल से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा) – सदस्य।

(2) चयन समिति खोज-सह-चयन समिति होगी और केंद्रीय सरकार को सिफारिश करने के लिए अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगी :

परंतु चयन समिति व्यक्तियों की उपयुक्तता पर विचार करने के पश्चात्, जिसके अंतर्गत पूर्व कार्य निष्पादन, सत्यनिष्ठा के साथ प्राधिकरण की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, विनियामक अनुभव के साथ उपयुक्तता है, प्रत्येक पद पर नियुक्ति करने के लिए दो या तीन व्यक्तियों के पैनल की सिफारिश करेगी ।

4. चिकित्सीय उपयुक्तता –

तब तक किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक उसे केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा चिकित्सीय रूप से उपयुक्त घोषित नहीं कर दिया जाता है ।

5. दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच करने की प्रक्रिया –

(1) यदि केंद्रीय सरकार द्वारा अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य के पद के संबंध में दुर्व्यवहार या कृत्यों के निष्पादन में अक्षमता के स्पष्ट आरोप का अभिकथन करते हुए लिखित शिकायत प्राप्त की जाती है, तो वह ऐसी शिकायत की प्रारंभिक संवीक्षा करेगी ।

(2) यदि प्रारंभिक संवीक्षा करने पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि किसी अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य के दुर्व्यवहार या अक्षमता के प्रति सत्यता की जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं, तो वह चयन समिति को जांच संचालित करने के लिए निर्दिष्ट करेगी ।

(3) चयन समिति, जांच को ऐसे समय के भीतर पूरा करेगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(4) जांच पूरी करने के पश्चात्, चयन समिति, प्रत्येक आरोप के प्रति अपने निष्कर्ष के कारणों का पृथक रूप से और संपूर्ण मामले पर ऐसे पर्यवेक्षण, जो वह उचित समझे, सहित कथन करते हुए, केंद्रीय सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

(5) चयन समिति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अधिकथित प्रक्रिया से आबद्ध नहीं होगी किंतु वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगी और उसे अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी जिसके अंतर्गत अपनी जांच की तारीख, स्थान और समय नियत करना भी है ।

6. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें –

(1) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जिसका कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं होंगे जिनसे ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

(2) अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य अपना पद भार ग्रहण करने से पूर्व अपनी आस्तियों और अपने दायित्वों तथा वित्तीय और अन्य हितों की घोषणा करेगा ।

(3) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य या तो केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी नियोजन को या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में किसी वित्तीय संस्था में कोई नियुक्ति, प्राधिकरण में, उसके द्वारा पद छोड़ने की तारीख से दो वर्ष के अवसान से पूर्व सिवाय केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के स्वीकार नहीं करेगा ।

7. वेतन –

(1) अध्यक्ष को भारत सरकार के सचिव को यथा अनुज्ञेय वेतन प्राप्त करने का या प्रतिमास चार लाख पचास हजार रुपए (4,50,000 रुपए) प्राप्त करने का विकल्प होगा ।

(2) पूर्णकालिक सदस्य को भारत सरकार के अपर सचिव को यथा अनुज्ञेय वेतन प्राप्त करने का या प्रतिमास चार लाख रुपए (4,00,000 रुपए) प्राप्त करने का विकल्प होगा ।

(3) जहां अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन सचिव या अपर सचिव को यथा अनुज्ञेय वेतन प्राप्त करने का विकल्प देता है और ऐसा अध्यक्ष या सदस्य कोई ऐसा व्यक्ति है जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है तथा जो पेंशन, उपदाय, अंशदाय, भविष्य निधि या अन्य निधियों में नियोक्ता अंशदान या सेवानिवृत्ति फायदों को प्राप्त करने का हकदार हो गया है या प्राप्त कर रहा है तब, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के वेतन और भत्तों को पेंशन की समग्र रकम तथा उपदान या अंशदाय भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान या सेवानिवृत्ति फायदों की किसी और किस्म, यदि कोई हो जिसका उसका आहरण किया है या उसके द्वारा आहरण किया जाना है, से कम कर दिया जाएगा ।

8. महंगाई भत्ता –

अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य, जिसने भारत सरकार के सचिव या किसी अपर सचिव को यथा अनुज्ञेय वेतन का विकल्प दिया है, क्रमशः समतुल्य रैंक के केंद्रीय सरकार के समूह 'क' अधिकारी को अनुज्ञेय दरों पर महंगाई भत्ता प्राप्त करेगा ।

9. मनोरंजन भत्ता –

अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य छह हजार रुपए (6,000 रुपए) प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, मनोरंजन भत्ते का हकदार होगा ।

10. छुट्टी –

अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य नीचे दिए गए अनुसार छुट्टी का हकदार होगा :-

(i) सेवा के पूरे किए गए प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए तीस दिन की दर पर अर्जित छुट्टी :

परंतु छुट्टी खाते में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की पहली जनवरी और पहली जुलाई को पंद्रह दिन की दो अग्रिम किस्तों में अर्जित छुट्टी का प्रत्यय किया जाएगा :

परंतु यह और कि पूर्ववर्ती अर्ध वर्ष की समाप्ति पर जमा उपार्जित छुट्टी अगले अर्ध वर्ष के लिए अग्रनीत हो जाएगी, इस शर्त के अध्यधीन कि इस प्रकार की छुट्टी अर्ध वर्ष के लिए अग्रनीत और जमा तीन सौ दिनों से अधिक नहीं होती है ;

(ii) चिकित्सा प्रमाणपत्र पर अर्ध वेतन छुट्टी या सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के संबंध में बीस दिनों की दर पर प्राइवेट कार्यों पर प्रत्येक दस दिनों की दो किस्तों में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के जनवरी के प्रथम दिन और जुलाई के प्रथम दिन पर अग्रिम रूप से जमा होगी और अर्ध वेतन छुट्टी के लिए छुट्टी वेतन उसके द्वारा उपार्जित छुट्टी के दौरान अनुज्ञेय छुट्टी वेतन के आधे के बराबर होगी ;

(iii) अर्ध वेतन पर छुट्टी अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य के विवेक पर पूर्व वेतन छुट्टी के रूप में परिवर्तित हो सकेगी यदि वह चिकित्सीय आधार पर ली गई है और सक्षम चिकित्सी प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाणपत्र द्वारा अनुसमर्थित है ;

(iv) कैलेंडर वर्ष में आठ दिनों के दर पर आकस्मिक छुट्टी ;

(v) उसके चुनाव पर उपभोग किए गए कैलेंडर वर्ष में दो दिनों के दर पर निर्बंधित अवकाश ;

(vi) वेतन और भत्ते के बिना असाधारण छुट्टी एक पदावधि में अधिकतम एक सौ अस्सी दिनों की होगी; और

(vii) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अवकाशों में से कैलेंडर वर्ष में वेतन और भत्ते के बिना असाधारण छुट्टी ।

11. छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी –

(1) अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य के रूप में छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा और केंद्रीय सरकार अध्यक्ष को छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा ।

(2) केंद्रीय सरकार, अध्यक्ष या सदस्य के विदेश यात्रा के लिए मंजूरी प्राधिकारी होगा ।

12. भविष्य निधि और पेंशन –

अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य अभिदायी भविष्य निधि (भारत) नियम, 1962 और अभिदायी पेंशन पद्धति के उपबंधों द्वारा शासित होगा ।

13. यात्रा भत्ता –

(1) अध्यक्ष दौरे या स्थानांतरण पर (जिसके अंतर्गत अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण के समय की गई अथवा प्राधिकरण में उसकी पदावधि के अवसान पर उसके द्वारा अपने गृहनगर से की गई यात्रा भी है), उसी स्केल पर तथा उसी दर पर, जो भारत सरकार के सचिव को अनुज्ञेय हैं, यात्रा भत्तों, दैनिक भत्तों, निजी सामान तथा अन्य समान वस्तुओं के परिवहन का हकदार होगा ।

(2) पूर्णकालिक सदस्य दौरे या स्थानांतरण पर (जिसके अंतर्गत अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण के समय की गई अथवा प्राधिकरण में उसकी पदावधि के अवसान पर उसके द्वारा अपने गृहनगर को की गई यात्रा भी है), उसी स्केल पर तथा उसी समूह दर पर, जो केंद्रीय सरकार के समान रैंक के समूह 'क' अधिकारी को अनुज्ञेय है, यात्रा भत्तों, दैनिक भत्तों, निजी सामान तथा अन्य सामान वस्तुओं के परिवहन का हकदार होगा ।

14. छुट्टी यात्रा छूट –

(1) अध्यक्ष उन्हीं दरों तथा स्केलों पर छुट्टी यात्रा छूट का हकदार होगा, जो भारत सरकार के सचिव को लागू होती हैं ।

(2) पूर्णकालिक सदस्य उन्हीं दरों तथा स्केलों पर छुट्टी यात्रा छूट का हकदार होगा, जो केंद्रीय सरकार के समान रैंक के समूह 'क' अधिकारी को लागू होते हैं ।

(3) छुट्टी यात्रा छूट से संबंधित अन्य शर्तें केंद्रीय सरकार के समान रैंक के समूह 'क' अधिकारियों से संबंधित नियमों द्वारा शासित होंगी ।

15. आवास –

(1) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य, भारत सरकार के क्रमश: सचिव और अपर सचिव को अनुज्ञेय किराया मुक्त असुसज्जित आवास के हकदार होंगे ।

(2) आवास में उपभोग किए गए जल, विद्युत और ईंधन के प्रभार आवास के अधिभोगी द्वारा वहन किए जाएंगे ।

(3) जहां अध्यक्ष या कोई पूर्णकालिक सदस्य अपने स्वयं के आवास का अधिभोग करता है या निजी व्यवस्था करता है, तो वह अपने मूल वेतन के दस प्रतिशत की प्रतिपूर्ति तथा भारत सरकार के समान वेतन वाले समूह 'क' अधिकारी को यथा अनुज्ञेय मकान किराया भत्ता का हकदार होगा ।

(4) इस नियम की कोई बात उस अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य को लागू नहीं होगी जिसने नियम 7 के उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट समेकित वेतन का विकल्प चुना है ।

16. परिवहन –

(1) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य शासकीय प्रयोजन के लिए प्राधिकरण की स्टाफ कार का हकदार होगा ।

(2) प्राधिकरण द्वारा किसी यात्री वाहन का क्रय नहीं किया जाएगा और वाहनों की अपेक्षा किराए पर लेकर पूरी की जाएगी ।

(3) इस नियम की कोई बात उस अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य को लागू नहीं होगी, जिसने नियम 7 के उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट समेकित वेतन का विकल्प चुना है ।

17. बोनस –

अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य किसी बोनस का हकदार नहीं होगा ।

18. बैठकों के लिए बैठक फीस –

अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य प्राधिकरण की बैठकों में उपस्थित होने के लिए किसी बैठक फीस के हकदार नहीं होंगे ।

19. छुट्टी का नकदीकरण –

(1) छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन का संदाय केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा शासित होगा ।

(2) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य किसी भी समय उनके प्रत्यय में अर्जित छुट्टी के पचास प्रतिशत के नकदीकरण का हकदार होगा ।

20. चिकित्सा उपचार के लिए सुविधाएं –

अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य स्कीम के अधीन सम्मिलित होंगे ।

21. अवशिष्ट उपबंध –

अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य की सेवा की शर्तों से संबंधित विषय, जिनके संबंध में इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, प्रत्येक मामले में केंद्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किए जाएंगे और उन पर केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

22. अंशकालिक सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें –

(1) अंशकालिक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा, जिसका कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित न हो, जिससे अंशकालिक सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो ।

(2) प्रत्येक अंशकालिक सदस्य तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा, जो उसके नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, किंतु वह पुन: नियुक्ति का पात्र होगा ।

(3) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त अंशकालिक सदस्य, उस पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्य की शेष बची पदावधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति हुई है ।

23. अंशकालिक सदस्य की फीस और भत्ते –

(1) अंशकालिक सदस्य उसके द्वारा प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए फीस के रूप में केवल छह हजार रुपए के पारिश्रमिक का हकदार होगा ।

(2) अंशकालिक सदस्य दौर पर (जिसके अंतर्गत प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होने के लिए की गई यात्रा भी है) उन्हीं दरों और स्केल पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्तों का हकदार होगा, जो भारत सरकार के अपर सचिव को लागू होती है ।

24. शिथिल करने की शक्ति –

केंद्रीय सरकार को व्यक्ति के किसी वर्ग या प्रवर्ग के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल करने की शक्ति होगी ।

[फा.सं. 3/7/2020-ईएम]

आनंद मोहन बजाज, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2020

G.S.R. 269(E).—In exercise of the powers conferred by section 27 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the International Financial Services Centres Authority (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires:-

(a) "Act" means the International Financial Services Centres Authority Act of 2019;

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Authority appointed under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Act;

(c) "Member" means a member of the Authority appointed under clause (d) of sub-section (1) of section 5 of the Act;

(d) "Selection Committee" means the selection committee constituted under rule 3;

(2) Words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Selection Committee.—

(1) The Chairperson and Member shall be appointed by the Central Government on the recommendation of a Selection Committee consisting of the following persons, namely:-

(a) Cabinet Secretary - Chairman;

(b) Principal Secretary to the Prime Minister or his nominee - member;

(c) Secretary, Department of Economic Affairs – member;

(d) three experts of repute (to be nominated by the Central Government from a panel of experts in the fields of Finance, Economics, Law, Public Administration, Financial Markets and related subjects maintained by it) - member.

(2) The Selection Committee shall be a Search-cum-Selection Committee and shall determine its procedure for making its recommendation to the Central Government:

Provided that the Selection Committee shall, after taking into account the suitability of the persons including record of past performance, integrity as well as regulatory experience keeping in view the requirements of the Authority, recommend a panel of two or three persons for appointment to each post.

4. Medical fitness.—

No person shall be appointed as the Chairperson or whole-time Member of the Authority unless he is declared medically fit by a competent medical authority specified by the Central Government in this behalf.

5. Procedure for inquiry of misbehavior or incapacity.—

(1) If a written complaint is received by the Central Government, alleging any definite charge of misbehavior or incapacity to perform the functions of the office in respect of a Chairperson or a whole-time Member, it shall make a preliminary scrutiny of such complaint.

(2) If on preliminary scrutiny, the Central Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any misbehavior or incapacity of a Chairperson or a whole-time Member, it shall make a reference to the Selection Committee to conduct the inquiry.

(3) The Selection Committee shall complete the inquiry within such time as may be specified by the Central Government.

(4) After the conclusion of the inquiry, the Selection Committee shall submit its report to the Central Government stating therein its findings and the reasons therefor on each of the charges separately with such observations on the whole case as it may think fit.

(5) The Selection Committee shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure,1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate its own procedure, including the fixing of date, place and time of its inquiry.

6. Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members.—

(1)The Chairperson and the whole-time Member shall be a person who shall not have any financial or other interests as are likely to affect prejudicially his functions as such Chairperson or Member.

(2) The Chairperson or whole-time Member shall, before entering upon his office, declare his assets, and his liabilities and financial and other interests.

(3) The Chairperson and whole-time Member shall not accept any employment either under the Central Government or under any State Government, or appointment in any financial institution in the International Financial Services Centres, before the expiry of a period of two years from the date of demitting the office in the Authority, except with the previous sanction of the Central Government.

7. Pay.—

(1) The Chairperson shall have an option to receive pay as admissible to a Secretary to the Government of India or a consolidated salary of rupees four lakh fifty thousand (Rs 4,50,000) per month.

(2) A whole-time Member shall have an option to receive pay as admissible to an Additional Secretary to the Government of India or a consolidated salary of rupees four lakh (Rs 4,00,000) per month.

(3) Where the Chairperson or a Whole-time Member opts to receive pay as admissible to a Secretary or an Additional Secretary under sub-rule (1) or sub-rule (2), as the case may be, and if such Chairperson or Member is a person who has retired from service under the Central Government or the State Government and who is in receipt of, or has received, or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension, gratuity, employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other Funds or retirement benefits, then the pay and allowances of such Chairperson or Member, as the case may be, shall be reduced by gross amount of pension and pension equivalent of gratuity or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, drawn or to be drawn by him.

8. Dearness allowance.—

The Chairperson and a whole-time Member who has opted pay as admissible to a Secretary or an Additional Secretary to the Government of India, respectively, shall receive dearness allowance at the rates admissible to a Group 'A' Officer of the Central Government, of equivalent rank

9. Entertainment Allowance.—

The Chairperson and a whole-time Member shall be entitled to entertainment allowance subject to a maximum of rupees six thousand (Rs. 6,000) per annum.

10. Leave.— The Chairperson and a whole-time Member shall be entitled to a leave as follows:-

(i) earned leave at the rate of thirty days for every completed calendar year of service:

Provided that the leave account shall be credited with earned leave in advance in two installments of fifteen days each, from the first day of January and first day of July, of every calendar year:

Provided further that the earned leave at the credit at the close of previous half year shall be carried forward to the next half year, subject to the condition that the leave so carried forward plus credited for half year do not exceed three hundred days;

(ii) half pay leave on medical certificate or on private affairs at the rate of twenty days in respect of each completed year of service, to be credited in advance in two instalments of ten days each, on first day of January and first day of July, of every calendar year and leave salary for half pay leave shall be equivalent to half of the leave salary admissible during he earned leave;

(iii) leave on half pay may be commuted to full pay leave at the discretion of the Chairperson or a whole-time Member, if it is taken on medical grounds and is supported by a Medical Certificate by a competent medical authority;

(iv) casual leave at the rate of eight days in a calendar year;

(v) restricted holidays at the rate of two days in a calendar year availing to their choice;

(vi) extra-ordinary leave without pay and allowances up to a maximum period of one hundred and eighty days in one term of office; and

(vii) extra-ordinary leave without pay and allowances in a calendar year out of the holidays notified by the Central Government.

11. Leave sanctioning authority.—

(1)The Chairperson shall be the authority competent to sanction leave to a whole-time Member and the Central Government shall be the authority competent to sanction leave to the Chairperson.

(2) The Central Government shall be the sanctioning authority for foreign travel to the Chairperson or a Member.

12. Provident Fund and Pension.—

The Chairperson and whole-time Member shall be governed by the provisions of the Contributory Provident Fund (India) Rules, 1962 and the Contribution Pension System.

13. Travelling allowance.—

(1) The Chairperson, while on tour or on transfer (including the journey undertaken at the time of joining his office as Chairperson or on the expiry of his term with the Authority proceeds to his home town), shall be entitled to the travelling allowances, daily allowances, transportation of personal effects and other similar matters at the same scale and at the same rate as are admissible to a Secretary to the Government of India.

(2) A whole-time Member while on tour or on transfer (including the journey undertaken at the time of joining his office as Member or on the expiry of his term with the Authority proceeds to his home town), shall be entitled to the travelling allowances, daily allowances, transportation of personal effects and other similar matters at the same scale and at the same rates as are admissible to Group 'A' officer of equivalent rank in the Central Government.

14. Leave travel concession.—

(1) The Chairperson shall be entitled to Leave Travel Concession at the same rates and at the same scales as are applicable to a Secretary to the Government of India.

(2) A whole-time Member shall be entitled to Leave Travel Concession at the same rates and at the same scales as are applicable to a Group 'A' officer of the equivalent rank in the Central Government.

(3) Other conditions relating to Leave Travel Concession shall be governed by the rules relating to Group 'A' officers of the same rank in the Central Government.

15. Accommodation.—

(1) The Chairperson and a whole-time Member shall be entitled to rent free unfurnished house as are admissible to a Secretary and an Additional Secretary, respectively, in the Government of India.

(2) Charges for water, electricity and fuel consumed in the house shall be borne by the occupant of the house.

(3) Where the Chairperson or a whole-time Member occupies his own accommodation or makes private arrangements, he shall be entitled to a compensation comprising of ten per cent of his basic pay and house rent allowance as are admissible to a Group 'A' officer carrying the same pay in the Government of India.

(4) Nothing in this rule shall apply to the Chairperson and a whole-time Member who has opted a consolidated salary specified under sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 7.

16. Conveyance.—

(1) The Chairperson and a whole-time Member shall be entitled to a staff car of the Authority for official purpose.

(2) No passenger vehicle shall be purchased by the Authority and requirement of vehicles shall be met by hiring.

(3) Nothing in this rule shall apply to the Chairperson and a whole-time Member who has opted a consolidated salary specified in sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 7.

17. Bonus.—

The Chairperson and a whole-time Member shall not be entitled to any bonus.

18. Sitting Fees for meetings.—

The Chairperson and a whole time Member shall not be entitled to any sitting fees for attending meetings of the Authority.

19. Encashment of leave.—

(1) The payment of leave salary during leave shall be governed by rule 40 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(2) The Chairperson and a whole time Member shall be entitled to encashment of fifty per cent of earned leave standing to their credit at any time.

20. Facilities for medical treatment.—

The Chairperson and a whole-time Member shall be covered under the health scheme as may be specified by the Central Government.

21. Residuary Provisions.—

Matters relating to the conditions of service of the Chairperson and a whole-time Member with respect to which no express provision has been made in these rules shall be referred in each case, to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be final.

22. Terms and conditions of services of part-time Member.—

(1) A part-time Member shall be a person who shall not have any such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a part-time Member.

(2) Every part -time Member shall hold office for such period, not exceeding three years, as may be specified in the order of his appointment, but shall be eligible for reappointment.

(3)A part-time Member appointed to fill up a casual vacancy, shall hold office for the reminder period of the term of whole-time or part-time Member in whose place he is appointed

23. Fee and allowances of part-time Member.—

(1) A part-time Member shall be entitled to receive remuneration by way of a fee of rupees six thousand only for each meeting of the Authority attended by him.

(2)A part-time Member while on tour (including the journey undertaken to attend a meeting of the Authority) shall also be entitled to travelling allowance and daily allowances at the same rates and scale as are applicable to an Additional Secretary to the Government of India.

24. Power to relax.—

The Central Government shall have power to relax the provisions of any of these rules with respect to any class or category of person.

[F. No. 3/7/2020-EM]

ANAND MOHAN BAJAJ, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.